भगवान जगन्नाथ द्वारा जगन्नाथ सिनारी

नरसिंह दास महापात्रा श्रीधर पंडा आदि

बनाम

उड़ीसा राज्य और अन्य

2 नवंबर, 1988

[के.एन. सिंह और ललित मोहन शर्मा, न्यायाधीशगण]

उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951: धारा ३ ए, ७ ए, ८ डी, ८ ई, 131 और 13 जी- भगवान जगन्नाथ की संपदा- क्या यह उड़ीसा राज्य में निहित है।

उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 को रियासतों और उड़ीसा राज्य के बीच मध्यस्थों की भूमि में किसी भी नाम से जाने जाने वाले सभी अधिकारों को समास करने और उन्हें राज्य में निहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 3 राज्य सरकार को एक अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने के लिए अधिकृत करती है कि उसमें निर्दिष्ट कोई भी सम्पदा राज्य को हस्तांतरित हो गई है और राज्य में निहित हो गई है, यानी संबंधित मध्यस्थ को अधिसूचित सम्पदा से वंचित कर दिया गया है और उसको क्षतिपूर्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। एक संशोधन द्वारा धारा 3-A एक्ट में जोड़ी गई जिसके द्वारा राज्य सरकार को अधिकृत किया गया कि वह सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के बारे में मध्यस्थ व उनके समूह को बाबत एकल अधिसूचना जारी करे। एक अन्य संशोधन के द्वारा 1963 में, अध्याय-॥ -ए जोड़ा गया जिसके द्वारा विशेष प्रावधान किया। 1963 में एक और संशोधन द्वारा सार्वजनिक न्यासों के लिए विशेष प्रावधान बनाते हुए अधिनियम में अध्याय ॥-ए जोड़ा गया। धारा 13-ए के खंड

(ई) में "न्यास-सम्पदा" का वर्णन किया गया है। दावों पर विचार करने और न्यास-सम्पदा होने का दावा करने वाली सम्पदाओं की प्रकृति का निर्धारण करने और अधिसूचना द्वारा निर्णय की घोषणा करने के लिए अध्याय II-ए में प्रावधान किए गए थे। इस तरह के निर्धारण का प्रभाव, जैसा कि धारा 13-I (1) में बताया गया है, सम्पदा को धारा 3 या 3-ए के तहत जारी अधिसूचना के तहत निहित होने से बचाने के लिए था।

27-4-1963 को भगवान जगन्नाथ की सम्पदा के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, और उसी तारीख को धारा 13-जी, अध्याय II-ए के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सम्पदा को "न्यास-सम्पदा" घोषित किया गया था। परिणाम यह हुआ कि देवता को सम्पदा से वंचित नहीं किया गया। 1970 में अध्याय II-ए निरस्त कर दिया गया। 1974 में धारा 2 में खंड (ओओ) के सम्मिलन से उक्त सम्पदा "न्यास-सम्पदा" बनी रही। 18.3.1974 को धारा 3-ए के तहत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें देवता की संपत्ति को राज्य में निहित करने की घोषणा की गई।

उक्त अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अध्याय II-ए के तहत भगवान जगन्नाथ की सम्पदा को "न्यास सम्पदा" घोषित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप इसे अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए और यह निर्णय अंतिम हो गया और अध्याय 2-ए के निरसन के बाद भी प्रभावी बना रहा। धारा 13-1 के तहत जो अधिकार हासिल किया गया था, वह अध्याय II-ए के निरस्त होने पर गायब नहीं हो सकता क्योंकि विचाराधीन सम्पदा पूरी तरह से अधिनियम के

दायरे से बाहर हो गई है। संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा धारा 2 में खंड (ओओ) में "न्यास सम्पदा" अभिव्यक्ति के भीतर भगवान जगन्नाथ की सम्पदा को शामिल करने का विधानमंडल का इरादा स्पष्ट रूप से उक्त सम्पदा को अधिनियम की शरारतों से स्थायी रूप से बचाना था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- अधिनियम की धारा 3-ए के तहत दिनांक 18.3.1974 को जारी अधिसूचना में कोई दुर्बलता नहीं है। [737-ई]
- 2. धारा 13-1 की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह धारा 13-जी के तहत घोषित "न्यास सम्पदा" को धारा 3 या 3-ए के तहत जारी अधिसूचना के संचालन से बचाता है, लेकिन आगे किसी भी संरक्षण का विस्तार नहीं करता है। उपबंध स्वयं अधिनियम से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और इसे अधिनियम के तहत बाद में जारी अधिसूचना द्वारा निहित होने से स्थायी संरक्षण प्रदान करने के लिए व्याख्या नहीं की जा सकती है। [737-ए-बी]
- 3. अधिनियम की धारा 7-ए, 8-ए, 8-डी और 8-ई में न्यास सम्पदा के लिए विशेष उपबंध शामिल हैं और स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि "न्यास सम्पदा" अधिनियम के दायरे में हैं। धारा 13-जी के तहत घोषणा से उन्हें मिलने वाला लाभ सीमित है और केवल पहले जारी की गई निहित अधिसूचना तक ही संदर्भित है। [737-डी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3177/1982।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार वाद संख्या 233/1977 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.2.81 से। अपीलार्थीगण कि ओर से - एन.के. दास और ए.पी. मोहंती

प्रत्यर्थीगण की ओर से - जी.एल. सांघी, आर.के. मेहता, सुश्री मोना मेहता और जे.आर. दास।

न्यायालय का फैसला शर्मा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमित द्वारा की गयी इस अपील में, उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक रिट मामले में निर्णय के संबंध में जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3-ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 18.3.1974 के परिणामस्वरूप भगवान जगन्नाथ की "संपदा" उड़ीसा राज्य में निहित हो गई है या उक्त अधिसूचना अधिकारातीत है और रद्द किये जाने योग्य है।

- 2. उच्च न्यायालय में रिट याचिका कई व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी, जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के पीठासीन देवता, भगवान जगन्नाथ के सेवक और उपासक होने का दावा कर रहे थे। मंदिर और मध्यस्थ हित सहित संपत्तियों का प्रबंधन एक न्यास के हाथों में है जिसे मामले में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा, उड़ीसा राज्य और कलेक्टर, पुरी, प्रशासक, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ समिति को भी पक्ष बनाया गया था। हालाँकि, वे रिट याचिकाकर्ताओं का समर्थन नहीं करते हैं और राज्य से सहमत हैं कि "सम्पदा" विवादित अधिसूचना के तहत निहित है।
- 3. यह अधिनियम 1952 में रैयतों और उड़ीसा राज्य के बीच मध्यस्थों की भूमि के सभी अधिकारों को समाप्त करने और उन्हें राज्य में निहित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। धारा 3 राज्य सरकार को एक अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने के लिए अधिकृत करती है कि उसमें निर्दिष्ट कोई भी सम्पदा राज्य को हस्तांतरित हो गई

है और राज्य में निहित हो गई है। ऐसी अधिसूचना का परिणाम धारा 5 में दिया गया है। वस्तुतः संबंधित मध्यस्थ को अधिसूचित हितों से वंचित कर दिया जाता है और वह अधिनियम में बताए गए तरीके से गणना किए जाने वाले मुआवजे का हकदार हो जाता है। एक संशोधन द्वारा धारा 3-ए को अधिनियम में शामिल किया गया, जिससे राज्य सरकार को पूरे राज्य या उसके एक हिस्से में मध्यस्थों के एक वर्ग या वर्गों के संबंध में एकल अधिसूचना जारी करने की अनुमति मिल गई। 1963 में एक और संशोधन द्वारा अधिनियम में अध्याय ॥-ए जोड़ा गया, जिससे सार्वजनिक न्यासों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। धारा 13 ए के खंड (ई) में "न्यास सम्पदा" को एक सम्पदा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी संपूर्ण शुद्ध आय विशेष रूप से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है। निस्संदेह, भगवान जगन्नाथ से संबंधित संपत्ति "न्यास सम्पदा" अभिव्यक्ति में शामिल है। दावों पर विचार करने और न्यास सम्पदा होने का दावा करने वाली सम्पदाओं की प्रकृति का निर्धारण करने और अधिसूचना द्वारा निर्णय की घोषणा करने के लिए अध्याय ॥-ए में प्रावधान किए गए थे। इस तरह के निर्धारण का प्रभाव, जैसा कि धारा 13-आई (एल) में बताया गया है, सम्पदा को धारा 3 या 3-ए के तहत जारी अधिसूचना के तहत निहित होने से बचाने के लिए था।

4. 27.4.1963 को भगवान जगन्नाथ की सम्पदा के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी और उसी तारीख को अध्याय ॥-ए के तहत एक और अधिसूचना के बाद सम्पदा को न्यास सम्पदा घोषित किया गया था। परिणामस्वरूप देवता को सम्पदा से वंचित नहीं किया गया। 1970 में अध्याय ॥-ए निरस्त कर दिया गया। 1974 में, अधिनियम में और संशोधन किया गया और "न्यास सम्पदा" जो मूल अधिनियम की परिभाषा के भाग में शामिल नहीं था, को

निम्निलिखित शब्दों में खंड (ओओ) में परिभाषित किया गया था (स्पष्टीकरण को छोड़कर जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है):

"(ओओ) 'न्यास सम्पदा' का मतलब एक सम्पदा है जिसकी संपूर्ण शुद्ध आय किसी न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत किसी भी व्यक्ति को आर्थिक लाभ की सुरक्षा के बिना सार्वजनिक प्रकृति के धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई है:

बशर्ते कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से संबंधित सभी संपदाएँ श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 के अर्थ के अंतर्गत हों और उड़ीसा संपदा उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1970 के लागू होने की तारीख से पहले इस अधिनियम के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यास संपदा के लिए घोषित की गई सभी संपदाएँ को न्यास संपदा माना जाएगा।"

18.3.1974 को धारा 3-ए के तहत आक्षेपित अधिसूचना, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है, जारी की गई थी:

"18 मार्च, 1974

एस.आर.ओ. संख्या 184/74- उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 (उड़ीसा अधिनियम ।/1952) की धारा 3-ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा घोषणा करती है कि

- (i) उन सभी मध्यस्थों के मध्यस्थ हित जिनकी सम्पदा को उक्त अधिनियम के अध्याय ॥-ए के तहत न्यास संपदा के रूप में घोषित किया गया है;
- (ii) जिनके संबंध में उक्त अध्याय के तहत किए गए दावे और संदर्भ उड़ीसा संपदा उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उड़ीसा अधिनियम 33/1970) के आरंभ की तारीख पर लंबित थे; और
- (iii) उन सम्पदाओं के अलावा अन्य सभी सम्पदाओं के संबंध में सभी मध्यस्थों के मध्यस्थ हित, जो पहले से ही राज्य में निहित हैं, सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो गए हैं।

(संख्या १३६९९-ईए-आई-एनडी-१/७४-आर)

राज्यपाल एस.एम. पटनायक के आदेश से

आयुक्त-सह-सचिव, सरकार"

इस पृष्ठभूमि में अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट आवेदन को खारिज कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अध्याय ॥-ए के तहत भगवान जगन्नाथ की सम्पदा को "न्यास सम्पदा" घोषित करने के फैसले के परिणामस्वरूप इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया माना जाना चाहिए और कानून की नजर में यह परिणाम अंतिम हो गया और अध्याय ॥-ए के निरस्त होने के बाद भी प्रभावी बना रहा। उड़ीसा साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 5 पर भरोसा रखा गया था और यह तर्क दिया गया था कि फैसले के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने धारा 13-आई के तहत जो अधिकार हासिल किया था, वह इस अध्याय के निरस्त होने पर गायब नहीं हो सकता। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप विचाराधीन सम्पदा पूरी तरह से अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई और इस कारण से जब 1974 में अधिनियम में और संशोधन किया गया, तो अधिनियम की धारा 2 में "न्यास सम्पदा" को परिभाषित करना और इस संबंध में किसी भी विवाद को शांत करने की दृष्टि से अभिट्यिक के भीतर भगवान जगन्नाथ की सम्पदा को स्पष्ट रूप से शामिल करना आवश्यक समझा गया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की सम्पदा को अधिनियम की शरारत से स्थायी रूप से बचाना है। हमारे विचार में, तर्क गुणगुण से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. यह सच है कि धारा 13-जी के तहत एक आदेश पारित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता की सम्पदा को "न्यास सम्पदा" घोषित किया गया था और इसके अलावा धारा 2 में खंड (ओओ) को शामिल करने से याचिकाकर्ता की सम्पदा "न्यास सम्पदा" बनी रही। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घोषणा का कानूनी प्रभाव क्या होगा। इस पहलू को धारा 13-1 के अंतर्गत निपटाया गया है, जिसे इस प्रकार उद्धृत किया गया है (उपधारा (2) को छोड़कर जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है):

"13-आई। धारा 13-जी के तहत पारित आदेशों का प्रभाव: (1) इस अध्याय के तहत अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा न्यास सम्पदा घोषित की गई सभी संपदाओं को, जैसा भी मामला हो, निहित अधिसूचना के संचालन से बाहर रखा गया माना जाएगा और इसके अनुसरण में कभी भी राज्य में निहित नहीं किया जाएगा।"

धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह धारा 13-जी के तहत घोषित "न्यास सम्पदा" को धारा 3-ए या 3 के तहत जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन से बचाता है लेकिन लाभ को आगे नहीं बढ़ाता है। ये उपबंध अधिनियम से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और अधिनियम के तहत बाद में जारी अधिसूचना द्वारा निहित होने से स्थायी संरक्षण प्रदान करने के लिए व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसी सम्पदा को बाद की अधिसूचना द्वारा उड़ीसा राज्य में निहित किया जा सकता है, जिसे धारा 13-के के खंड (बी) द्वारा स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है:

"(ए)

(बी) इस अध्याय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार को किसी न्यास सम्पदा को निहित करने से रोकता हो।

अधिनियम की धारा 7-ए, 8-ए, 8-डी और 8-ई में न्यास सम्पदा के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं और स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि "न्यास सम्पदा" अधिनियम के दायरे में हैं। धारा 13-जी के तहत घोषणा से उन्हें मिलने वाला लाभ सीमित है और केवल पहले जारी की गई निहित अधिसूचना तक ही संदर्भित है। इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता की सम्पदा बाद में जारी अधिसूचना द्वारा राज्य में निहित नहीं की जा सकती।

7. हम तदनुसार मानते हैं कि अधिनियम की धारा 3-ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 18.3।1974 में कोई कमी नहीं है। अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है, बिना किसी लागत की स्थिति मे।

ए.पी.जे.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमन्त सोनी द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।